आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
12-9-17	उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। आदेशार्थ (हस्ताक्षर) 12/9/17	
	आदेश प्रस्तुत वाद आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा राजस्व ग्राम-भुमरी के खाता सं० 6 प्लॉट 7 रकबा 2.00 एवं खाता सं० 6 प्लॉट 12 रकबा 3.00 एकड़ कुल रकबा 5.00 एकड़ भूमि के विरुद्ध दखल-दहानी दिलाने हेतु बेदखली वाद दायर किया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदन-पत्र अंगीकृत करते हुए उभय पक्षों को नोटिस निर्गत करें एवं अंचल अधिकारी, नगरउंटारी से जांच-प्रतिवेदन की मांग करें। उभय पक्ष उपस्थित होकर अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत किए एवं अंचल अधिकारी से जांच-प्रतिवेदन प्राप्त। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि राजस्व ग्राम-भुमरी के खाता सं० 6 प्लॉट 7 रकबा 2.00 एकड़ एवं खाता सं० 6	

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

प्लॉट 12 रकबा 3.00 एकड़ भूमि खतियानी भूमि है, जिसे विपक्षीगण द्वारा लगभग 6 माह से बेदखल कर दिए है जिसे वापस दिलाने हेतु अनुरोध किया गया है आवेदक अपने दावे के समर्थन में लगान रसीद एवं खतियान की प्रति दाखिल किए है

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत भूमि मूलतः जमीनदार के द्वारा बन्दोबस्ती पट्टा से वर्ष 1948 में प्राप्त है जमीनदारी उन्मूलन के पश्चात् सरकारी रिकार्ड में खाता 6 प्लॉट 7 रकबा 4.32 एकड़ का लगान रसीद विपक्षीगण के नाम से कटती है वर्तमान सर्वे में 3.37 एकड़ का पर्चा मिला है, शेष के लिए दफा 87 के तहत वाद दायर किया है। विपक्षी के द्वारा आवेदक की भूमि नहीं हड़पी गई है जान बूझकर आवेदक परेशान करने के निमित्त से केश किए है प्रश्नगत खाते की भूमि का जांच-प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदक एवं विपक्षी का भूमि अलग-अलग मांग चलता है विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि धारा 71 (A) गढ़वा में मण्डरिया अंचल को छोड़कर किसी भी अंचल में लागू नहीं है आवेदक जान बूझकर परेशान कर रहे

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

है। ऐसी परिस्थिति में आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन पत्र चलने योग्य नहीं है, जिसे अस्वीकृत की जाए। विपक्षी अपने दावे के समर्थन में निम्नांकित कागजात दाखिल किए हैं :—

(1) छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 1908 की प्रति 1 फर्द

(2) सादा पट्टा	————	1 फर्द
(3) जमीनदारी रसीद	————	4 फर्द
(4) मालगुजारी रसीद	————	1 फर्द
(5) पुराना खतियान	————	1 फर्द
(6) नया खतियान	————	1 फर्द
(7) जगु महतो का सादा पट्टा	————	1 फर्द
(8) जमीनदारी रसीद	————	2 फर्द
(9) खतियान की छाया प्रति	————	1 फर्द
(10) धारा 87 का आवेदन	————	2 फर्द

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना। उपलब्ध कागजातों एवं जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से विदित होता है कि राजस्व ग्राम - भुमरी के खाता 6 प्लॉट 07 रकबा 2.00 एकड़ एवं खाता सं 6 प्लॉट 12 रकबा 3.00 एकड़ भूमि आवेदक की खतियानी भूमि है, जिसका लगान रसीद वित्तीय वर्ष 16-17 तक निर्गत है। जबकि मांग पंजी II के अनुसार विपक्षी के नाम से 4.32 एकड़ का मांग चलता है लेकिन

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	हाल सर्वे में 3.37 एकड़ का ही खतियान प्राप्त है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी तथ्य लाया गया कि गढ़वा जिला में भण्डरिया अंचल को छोड़कर किसी भी अंचल में 71(A) लागू नहीं है, जिसका निर्णय दाखिल किए।	
	उपलब्ध कागजात एवं जाँच प्रतिवेदन के परिपेक्ष में प्रश्नगत भूमि का सीमांकन करने के उपरान्त ही निपटारा किया जा सकता है।	
	अत: अंचल अधिकारी, नगर उंटारी को आदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत खाते प्लॉट का भूमि की सीमांकन कर दोनों पक्षों की भूमि का खुदागडी करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे।	
	आदेश की प्रति संबंधित अंचल अधिकारी नगर उंटारी को अनुपालन हेतु भेजें।	
	लिखापित एवं संशोधित।	
	अनुमण्डल पदाधिकारी नगर उंटारी। अनुमण्डल पदाधिकारी नगर उंटारी।	